प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं. 8586/2019

1 – सुरेश सिंह पिता स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह ,57 वर्ष , सहायक उप निरीक्षक, (मैकेनिक) (एम. टी. शाखा) के रूप में पदस्थ ,पुलिस लाइन, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा , गृह तथा पुलिस मंत्रालय विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – पुलिस महानिदेशक मुख्यालय–इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर छत्तीसगढ़,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

4 – रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

5 – श्री गुरजित सिंह तत्कालीन रिजर्व इंस्पेक्टर, एट–पुलिस लाइन, रायपुर तथा अब पुलिस उपाधीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ।जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) सं. 3137/2024

1 – सुरेश सिंह पिता स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह , 62 वर्ष ,उप–निरीक्षक के रूप में पदस्थ , मैकेनिक एम. टी. शाखा, एट–पुलिस लाइन, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, गृह विभाग तथा पुलिस मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – पुलिस महानिदेशक मुख्यालय–इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – पुलिस अधीक्षक जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।4 – रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :श्रीजीता केशरवानी अधिवक्ता ,श्री राजेश कुमार केशरवानी,अधिवक्ता

उत्तरवादी/ राज्य हेतु :श्री राजीव भारत, शासकिय अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 5 हेतु (डब्ल्यू. पी. एस. सं. 8586/2019):श्री चंद्रिकादित्य पांडे, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायाधीश

मौखिक आदेश

14–2–2025

1.चूंकि दोनों प्रकरणो में निर्धारण का विवाद्यक एक ही है कि क्या लाखों रुपए के गबन के आरोप से कर्मचारी द्वारा इन्कार करने के बावजूद, बिना किसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही (दाण्डिक प्रकरण) के, उस कर्मचारी से कोई वसूली की जा सकती है तथा उसके सेवानिवृत्ति देय रोके जा सकते हैं, इसलिए दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है तथा इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय दिया जा रहा है।सुविधा के लिए, अधिकांश दस्तावेजों को डब्ल्यू. पी. एस. सं 8586/2019 के निष्कर्ष 3 से संदर्भित किया गया है

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि, याचिकाकर्ता को प्रारम्भ में पुलिस विभाग में कांस्टेबल (मैकेनिक) के पद पर 1–7–1982 को नियुक्त किया गया था। 11–6–2011 को, जब वह सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक) के रूप में तैनात था, तो उसे 'शौर्य पेट्रोल पंप', पुलिस लाइन, रा में ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 11–6–2011 से 7–4–2014 तक उसने प्रत्यर्थी क्रमांक 4/5 के मौखिक निर्देश पर उक्त पेट्रोल पम्प में ड्यूटी की। तत्पश्चात मौखिक निर्देश पर उसे एम.टी. शाखा, पुलिस लाइन, रायपुर में वापस कर दिया गया। याचिकाकर्ता तकनीकी पद पर था तथा पेट्रोल पम्प में भी वह यांत्रिक खराबी की देखरेख करता था। पेट्रोल पम्प का एकमात्र प्रभारी प्रत्यर्थी क्रमांक 4/5 था। प्रत्यर्थी क्रमांक 4/5 के मौखिक निर्देश एवं दबाव में याचिकाकर्ता ने पेट्रोल पम्प के लेन–देन की देखरेख की, जबकि उसे पेट्रोल पम्प के लेन–देन के संबंध में लेखा–जोखा रखने का कोई अनुभव नहीं था। उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया, लेकिन दिनांक 23–3–2014

(अनुलग्नक पी–3) एवं 4–9–2014 (अनुलग्नक पी–5) के पत्राचार द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 4/5 ने उसे सूचित किया कि पेट्रोल पम्प के लेखा–जोखा के भौतिक सत्यापन पर 2.5 लाख रुपए की कमी पाई गई। 30,47, 345.91/– और 27,23, 659.00 रुपये का बकाया पाया गया और उसे उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। दबाव में आकर याचिकाकर्ता ने दो बार में 8 लाख रुपये जमा कर दिए।दिनांक 7–9–2015 के पत्र (अनुलग्नक पी–6) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4/5 ने सूचित किया कि पेट्रोल पंप की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के प्रभार अवधि के दौरान यानी 12–6–2011 से 7–4–2014 तक, खाता पुस्तकों में 80,49, 387.34/– रुपये की कमी पाई गई है, इसलिए, उन्हें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 8–9–2015 के अनुलग्नक पी–7 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा कि उसे पेट्रोल पंप के संचालन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने वहां ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था, साथ ही उसने कोई चोरी या गलती नहीं की है और इतने बड़े गबन के आरोप के कारण वह अत्यधिक परेशान है। इसके बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 3/पुलिस अधीक्षक, रायपुर ने कारण बताओ नोटिस/समायोजन नोटिस (अनुलग्नक पी–1) दिनांक 11–9–2015 को जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया कि 12–6–2011 से 7–4–2014 की अवधि के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म से पेट्रोल पंप के लेखा–बही का ऑडिट करने पर 80,49, 387.34/– रुपए का घाटा पाया गया है, इसलिए उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने और समायोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए अनुलग्नक पी–8 दिनांक 14–9–2015 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया। लेकिन, याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार किए बिना, प्रतिवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 16–11–2015 को एक आदेश (अनुलग्नक पी–2) पारित किया, जिसमें उसके वेतन से प्रति माह 10,000/– रुपये की कटौती करने का निर्देश दिया गया, जो उसके वेतन से लगातार कटता रहा। उत्तरवादी क्रमांक 3/ पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा जारी उक्त कारण बताओ/समायोजन नोटिस (अनुलग्नक पी–1) दिनांक 11–9–2015 और वसूली आदेश (अनुलग्नक पी–2) दिनांक 16–11–2015 को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत डब्ल्यूपीएस क्रमांक 8586/2019 दायर किया और निम्नलिखित अनुतोष की मांग की:----------

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“ए. यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को आदेश या उपयुक्त निर्देश के रूप में एक रिट जारी करने की कृपा करे, ताकि वे आक्षेपित आदेशों से संबंधित अभिलेख को अवलोकनार्थ मंगवा सकें।

बी. यह माननीय न्यायालय कृपया आक्षेपित वसूली आदेश दिनांक 11/09/2015 अनुलग्नक पी/1 तथा दिनांक 16/11/2015 अनुलग्नक–पी/2 को निरस्त करने की कृपा करे।

सी. यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि 18% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देवे।

डी. कृपया उत्तरवादी अधिकारियों को आर्थिक अपराध शाखा की एजेंसी से मामले की जांच करने का निर्देश देवे।

ई. कृपया क्षतिपूर्ति तथा किसी अन्य अनुतोष की अनुमति देने कि कृपा करे जो माननीय न्यायालय को उपयुक्त तथा उचित लगे

एफ. कृपया याचिका की लागत की अनुमति दी जावे।"

2.1ऐसी वसूली के दौरान, 29–2–2024 को याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर (मैकेनिक) के पद से सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उक्त कारण बताओ नोटिस/समायोजन नोटिस (अनुलग्नक पी–1), वसूली नोटिस (अनुलग्नक पी–2) और गबन के आरोप के कारण, उसकी सेवानिवृत्ति देय राशि रोक दी गई है, इसलिए, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत डब्ल्यूपीएस संख्या 3137/2024 दायर किया है जिसमें निम्नलिखित अनुतोष कि मांग कि गई है:––––––––––

" 10.1 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की सेवा के सेवानिवृत्ति बकाया, पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण, जीआईएस आदि जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया लाभ के भुगतान में विलंब हेतु 12 प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति देवे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया अन्य अनुतोष की अनुमति देवे जो उपयुक्त तथा उचित समझे।"

3.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्त अवधि अर्थात 12–6–2011 से 7–4–2014 के दौरान वह पुलिस लाइन में सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) के पद पर पदस्थ था, किन्तु उत्तरवादी सं. 4/5 के मौखिक निर्देश पर उसने पेट्रोल पंप पर ड्यूटी की, वह पेट्रोल पंप का प्रभारी नहीं था, बल्कि उत्तरवादी सं. 4/5 पेट्रोल पंप का प्रभारी था तथा उसके मौखिक निर्देश पर कभी–कभी वह पेट्रोल पंप के लेन–देन का कार्य भी देखता था, वह भी उत्तरवादी सं. 4/5 की देखरेख में, अन्यथा उस अवधि में उसका मुख्य कर्तव्य पेट्रोल पंप की यांत्रिक खराबी को देखना था। अन्यथा भी चूंकि वह लेखा कार्य से परिचित नहीं था या लेखा प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए वह पेट्रोल पंप के लेन–देन की खाता बही बनाए रखने का कर्तव्य नहीं निभा सकता था। अप्रैल, 2014 माह में उसे पेट्रोल पंप से हटा दिया गया तथा मौखिक निर्देश पर वह पुलिस लाइन, एम.टी. शाखा में अपनी सेवा दे रहे थे। ।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि, प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद से, याचिकाकर्ता अपनी बेगुनाही दिखा रहा था और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि, न तो उसने कोई चोरी की है और न ही पेट्रोल पंप में कोई गलत काम किया है। इसके बावजूद, उसे बड़ी राशि जमा करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए उसने धमकी और दबाव में 8 लाख रुपये जमा किए हैं क्योंकि प्रतिवादी अधिकारियों ने उसके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया।आगे यह भी कहा गया है कि बिना किसी विभागीय जांच या आपराधिक कार्यवाही के याचिकाकर्ता पर एक करोड़ रुपये से अधिक के गबन का आरोप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाया गया है और उसे अनुलग्नक पी–1 और पी–2 के अनुसार राशि का समायोजन करने के लिए विवश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक आर–4) के अनुसार भी याचिकाकर्ता ने अपने बयान में उक्त गबन के आरोप से इनकार किया है, इसके बावजूद बिना किसी जांच या आपराधिक कार्यवाही के, वसूली का आदेश पारित कर दिया गया है, याचिकाकर्ता से बड़ी राशि वसूल की गई है और उसकी सेवानिवृत्ति देयताएं भी रोक दी गई हैं। यद्यपि इस न्यायालय द्वारा 30–8–2024 को पारित आदेश के बाद याचिकाकर्ता को पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की 50% राशि का भुगतान किया गया है।

3.1 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि बिना किसी उचित जांच या आपराधिक कार्यवाही के, उससे भारी वसूली करना और उसकी सेवानिवृत्ति बकाया राशि रोकना सीजी सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (इसके बाद, 'सीसीए नियम' के रूप में संदर्भित) और सीजी सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1976 (इसके बाद, 'नियम, 1976' के रूप में संदर्भित) के खिलाफ है, इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि, याचिकाकर्ता द्वारा दोनों रिट याचिकाओं में मांगी गई अनुतोष दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 ने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 11–6–2011 को शौर्य (पुलिस) पेट्रोल पंप, रायपुर का कार्यभार संभाला और 12–6–2011 से 7–4–2014 तक वहां काम किया।उत्तरवादी क्रमांक 4/5 द्वारा 23–3–2014 और 8–4–2014 को पेट्रोल पंप के लेन–देन/खातों का भौतिक सत्यापन करने पर क्रमशः 30,47, 345.91 रुपए और 27,23, 659.00 रुपए की कमी पाई गई।उक्त राशि के समायोजन हेतु स्पष्टीकरण मांगे जाने पर याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक आर–2 दिनांक 27–10–2015 के माध्यम से 10,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से किश्तों में राशि जमा करने हेतु अपनी सहमति दी तथा उसने स्वयं 8,60,000 रूपये किश्तों में जमा किये, जिससे यह तथ्य स्वयं स्थापित होता है कि उसने राशि का गबन किया है।

4.1 उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 के विद्वान अधिवक्तागण ने अपने उत्तर का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया कि, भारी राशि के गबन के संबंध में याचिकाकर्ता के आचरण की रिपोर्ट उत्तरवादी क्रमांक 3 को दी गई थी, तत्पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 3 के निर्देशानुसार पेट्रोल पंप के खातों की ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वीबीएम एंड कंपनी, रायपुर से कराई गई तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 की उस ऑडिट में, जब याचिकाकर्ता पेट्रोल पंप का प्रभारी था, उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा कुल 1,01,26, 623.34/– रूपये का घाटा रिपोर्ट किया गया, जिसके विरूद्ध याचिकाकर्ता द्वारा 8,20,000/– रूपये की राशि जमा की गई। उत्तरवादी क्रमांक 3 के निर्देशानुसार जांच अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा प्रारंभिक जांच की गई तथा उस जांच में याचिकाकर्ता एवं पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों के कथन दर्ज किए गए।जांच के बाद जांच अधिकारी ने अनुलग्नक आर–4 के तहत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को 80,23, 666.34 रुपये की सरकारी धनराशि के गबन का दोषी पाया गया। अतः , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

का यह तर्क गलत है कि याचिकाकर्ता को कोई जांच या अवसर दिए बिना ही उक्त वसूली आदेश जारी कर दिया गया तथा सेवानिवृत्ति बकाया राशि रोक ली गई।याचिकाकर्ता से घाटे की राशि की वसूली का आक्षेपित आदेश सीसीए नियमों के नियम 10 के तहत मामूली दंड है, इसलिए आक्षेपित वसूली आदेश जारी करने और याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया को रोकने में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। इस प्रकार, दोनों याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

5.उत्तरवादी संख्या 5 ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से तथा पद के आधार पर उत्तरवादी सं 4 और 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

6.मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

7.उत्तरवादी संख्या 1 से 4 के उत्तर एवं तर्क के अनुसार, याचिकाकर्ता 12–6–2011 से 7–4–2014 तक पेट्रोल पंप का प्रभारी था तथा इस अवधि के दौरान वह खाता–बही को अद्यतन रखने के लिए भी जिम्मेदार था, लेकिन आरोप के अनुसार याचिकाकर्ता ने 1,01,26, 623.34 रुपये की राशि का गबन किया। यह आरोप अपने आप में दर्शाता है कि पेट्रोल पंप पर भारी मात्रा में लेन–देन किया जा रहा था, लेकिन याचिकाकर्ता के तर्क के अनुसार उसे पेट्रोल पंप के लेन–देन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वह उत्तरवादी संख्या 4/5 के निर्देश पर तथा दबाव में पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहा था। याचिकाकर्ता का दायित्व साबित करने के लिए कि वह उक्त अवधि के लिए पेट्रोल पंप का प्रभारी था, उसे पेट्रोल पंप का प्रभारी बनाने से संबंधित आदेश दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई आदेश दायर नहीं किया गया है, बल्कि याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने केवल मौखिक निर्देश के तहत अपना कर्तव्य निभाया, जबकि पेट्रोल पंप का प्रभारी उत्तरवादी संख्या 4/5 था।इस प्रकार, इतनी बड़ी राशि के गबन के लिए याचिकाकर्ता पर दायित्व डालने के लिए कोई वैध दस्तावेज न होने पर, याचिकाकर्ता पर दायित्व डालना अवैध प्रतीत होता है, विशेषकर तब, जब उसके प्रारंभिक स्पष्टीकरण से, याचिकाकर्ता का यह रुख है कि, वह निर्दोष है और उक्त कार्य का कोई अनुभव न होने पर भी, उसे मौखिक रूप से पेट्रोल पंप पर ड्यूटी सौंपी गई थी और उसने कोई चोरी या कोई गलत कार्य नहीं किया है।

8. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक आर–4) दिनांक 29–01–2018 से पता चलता है कि, यह (प्रारंभिक जांच रिपोर्ट) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के समक्ष 29–1–2018 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को 12–6–2011 से 7–4–2014 तक पेट्रोल पंप पर अपनी पदस्थापना के दौरान 1,01,26, 623.34/– रुपये के गबन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।परंतु इस जांच रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि "याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने 80,49, 387.34/– रुपए का गबन नहीं किया है, तथा उसने आरोप (आरोप) से इनकार किया है।" इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उक्त अवधि के लिए तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि के गबन के लिए उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा विधिक कार्यवाही की संस्तुति की है। परंतु उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही जैसे आपराधिक कार्यवाही आदि शुरू या संचालित या लंबित नहीं की गई है।

9 .उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि बिना किसी जांच या आपराधिक कार्यवाही के तथा यहां तक कि किसी भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पूर्व ही प्रत्यर्थी क्रमांक 3/पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी–1) दिनांक 11–9–2015 तथा वसूली आदेश (अनुलग्नक पी–2) दिनांक 16–11–2025 जारी कर केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त सहमति (अनुलग्नक आर–2) दिनांक 27–10–2025 के आधार पर याचिकाकर्ता के वेतन से 80,49, 387.34/– रूपये की भारी राशि समायोजन/वसूली करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अनुलग्नक आर–2 की विषय–वस्तु से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसने आरोप का खंडन किया है तथा कहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है। याचिकाकर्ता की ऐसी अस्पष्ट स्वीकारोक्ति और उसके मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, जिसमें उसने कहा है कि उसने पेट्रोल पंप में कोई चोरी या कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसा वसूली आदेश उचित विभागीय जांच और अन्य कानूनी कार्यवाही करने के बाद किया जाना चाहिए था, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा विलंबित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक आर–4) दिनांक 29–1–2018 में सिफारिश की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.उत्तरवादी संख्या 1 से 4 का तर्क है कि याचिकाकर्ता से घाटे की राशि की वसूली का आक्षेपित आदेश सीसीए नियमों के नियम 10 के तहत एक छोटा दंड है। सीसीए नियमों के नियम 10(i) से (iv) में छोटे दंड का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:––––––––––––

"10. दंड।– निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से और इसके बाद दिए गए अनुसार, सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं, अर्थात्:––––––––––

लघु दंडः––––––––––

(i) परिनिंदा;

(ii) उसकी पदोन्नति रोकना;

(iii) उसकी लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि उसके वेतन से वसूल करना:

(iv) वेतन वृद्धि या ठहराव भत्ते को रोकना; "

11.सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 में छोटे–मोटे दंड लगाने की प्रक्रिया बताई गई है, जो इस प्रकार है:––––––––––

"16. लघु दंड लगाने की प्रक्रिया।––––––––––

(1) नियम 15 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 10 के खंड (i) से (iv) तथा नियम 11 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को किसी सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि–

(क) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव तथा उस कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप, जिसके आधार पर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है, के बारे में लिखित रूप से सूचित न कर दिया जाए तथा उसे प्रस्ताव के विरुद्ध ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए, जैसा वह करना चाहे।

(ख) नियम 14 के उपनियम (3) से (23) में निर्धारित तरीके से प्रत्येक मामले में जांच करना, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है:

(ग) खंड (क) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तथा खंड (ख) के अधीन की गई जांच के अभिलेख, यदि कोई हो, पर विचार न किया जाए:

(घ) कदाचार या दुर्व्यवहार के प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित किया जाए:तथा

(ड) जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श करना।

(1–ए) xxx xxxxxxxxxx

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(i) सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना की प्रति;

(ii) उसे दिए गए कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप के कथन की प्रति:

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो:

(iv) जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य:

(v) आयोग की सलाह, यदि कोई हो;

(vi) कदाचार या दुर्व्यवहार के प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर आदेश तथा उसके कारण। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त नियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि, कर्मचारी द्वारा सरकार को पहुँचाई गई किसी भी आर्थिक हानि की, पूर्णतः या आंशिक, वेतन से वसूली की सजा एक छोटा दंड है, तथा यह किसी भी सरकारी कर्मचारी पर सी.सी.ए. नियमों के नियम 16(1)(ए) के अन्तर्गत लिखित रूप से उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव तथा कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों, जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, की सूचना देने तथा उसे प्रस्ताव के विरूद्ध अपनी इच्छानुसार अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही लगाया जा सकता है।सीसीए नियमों का नियम 16(1)(ए) दोषी पर आरोप पत्र तामील किए बिना और उसे बचाव का उचित अवसर दिए बिना कोई जुर्माना लगाने पर रोक लगाता है।

13. मप्र उच्च न्यायालय ने कु. शैलजा आर. जेसवानी बनाम मप्र राज्य एवं अन्य [2000(3) एमपीएचटी 85 (एनओसी)] के मामले में माना है कि नोटिस को कदाचार के आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव के रूप में नहीं समझा जा सकता है और मामूली जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. लाल औधराज सिंह लाल रामप्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1967 एमपीएलजे 528) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि सरकारी कर्मचारी को यह कहते हुए केवल एक नोटिस देना कि वह कुछ चूक या कदाचार का दोषी हैयह कंडिका 5 में निम्नानुसार देखा गया थाः----------

"5.याचिकाकर्ता की यह शिकायत भी पर्याप्त है कि उसे वेतन वृद्धि रोकने के प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने का प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, जो 13 अगस्त 1965 से पहले लागू थे, के नियम 55-ए के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी पर ऐसा दंड तभी लगाया जा सकता था, जब उसे अपनी इच्छानुसार अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो और यदि ऐसा अभ्यावेदन किया गया हो, तो उस पर विचार किया गया हो।इसी प्रकार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 13(1)(क) के अंतर्गत वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड तभी लगाया जा सकता है, जब शासकीय सेवक को उसके विरुद्ध यह कार्यवाही करने के प्रस्ताव की लिखित सूचना दी जाए तथा जिन आरोपों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उन्हें भी सूचित किया जाए तथा उसे कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाए। निःसंदेह, शासकीय सेवक पर वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड लगाने के लिए विभागीय जांच करना आवश्यक नहीं है। किन्तु वह स्पष्ट रूप से उन आरोपों का सामना करने का प्रभावी अवसर पाने का हकदार है, जिनके आधार पर उसकी वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव है। शासकीय सेवक को केवल यह नोटिस देना कि वह किसी चूक या कदाचार का दोषी है तथा वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के विरुद्ध कारण बताने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है।शासकिय कर्मचारी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उन पर आधारित सामग्री के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दूसरा नोटिस, जो 15 अप्रैल 1963 को

आवेदक को जारी किया गया था, जैसा कि रिटर्न में ही कहा गया है, जुलाई 1954 में आयोजित जांच की रिपोर्ट के आधार पर था। उस रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए थी ताकि वह अपने खिलाफ लगाए गए लापरवाही के आरोप का सामना कर सके और यह दिखा सके कि वह किसी भी सजा का हकदार नहीं है।

15.नियम 1966 के नियम 16 के उपनियम (1) का खण्ड (ख) अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि जांच की जानी है या नहीं। अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जैसा कि कर्मचारी के अभ्यावेदन और अन्य उपलब्ध सामग्री में बताया गया है और एक तर्कसंगत निष्कर्ष देना चाहिए कि जांच आवश्यक है या नहीं। ऐसे निष्कर्ष के अभाव में, जुर्माना लगाने वाला आदेश तब तक अवैध होगा जब तक कि यह न दर्शाया जा सके कि चूक से कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। **16. इतना ही नहीं, म.प्र. उच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम सी.पी. सिंह (2004 (द्वितीय) म.प्र.जे.आर. 252) के मामले में, इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए** और आगे डी.के. भारद्वाज बनाम भारत संघ [(2001) 9 एससीसी 180] और भारतीय खाद्य निगम बनाम ए. प्रहलाद राव [(2001) 1 एससीसी 165] में कंडिका 16 और 17 में मामूली दंड लगाने की विधिक स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है:----------

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"16 नियमों और उपरोक्त निर्णयों से स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:---------

(i) संक्षिप्त जांच में, कर्मचारी को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रस्ताव और कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के बारे में सूचित करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसके आधार पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।कर्मचारी को प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है।अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रत्येक कदाचार के आरोप पर अभिलेखों तथा अभ्यावेदन और निष्कर्षों के अभिलेखों पर विचार करता है।

(□□) नियमित जांच में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोप के लेख तैयार करता है और इसे कर्मचारी को कदाचार के आरोप का विवरण, गवाहों की सूची और विभाग द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सूची के साथ दिया जाता है।अनुशासनात्मक प्राधिकारी कर्मचारी को लिखित रूप में अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहता है।बचाव पर विचार करने पर; अनुशासनात्मक प्राधिकारी उस पर विचार करता है और निर्णय लेता है कि क्या जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या आरोपों को हटा दिया जाना चाहिए। यदि वह जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो आम तौर पर एक जांच प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है, जब तक कि वह स्वयं जांच करने का निर्णय नहीं करता है। प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।कर्मचारी को नियमों के अनुसार सह-कर्मचारी या अन्य की सहायता लेने की अनुमति है।

जांच तब की जाती है जब कर्मचारी की उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं। कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति है। कर्मचारी को प्रबंधन के पास मौजूद अन्य दस्तावेजों को भी मंगाने की अनुमति है जो उसके पक्ष में हैं। अपचारी कर्मचारी को प्रबंधन के गवाहों से जिरह करके और अपने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पेश करके प्रबंधन के साक्ष्य का खंडन करने का अवसर दिया जाता है।लिखित और/या मौखिक तर्क प्राप्त/सुने जाते हैं। दोषी कर्मचारी को अपना मामला रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। अतः, जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को दी जाती है और उसका अभ्यावेदन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी सभी सामग्री पर विचार करता है और उचित आदेश पारित करता है। ऐसी जांच के लिए विस्तृत प्रक्रिया रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के उप–नियम (6) से (25) में निहित है, जो केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के उप–नियम (3) से (23) और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1966 के उप–नियमों में निहित है।

(iii) सामान्य नियम, सिवाय जहां कर्मचारी अपराध स्वीकार करता है, नियमित जांच करना है। लेकिन जहां प्रस्तावित दंड 'मामूली दंड' है, तो नियम अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नियमित जांच से छूट देने और केवल संक्षिप्त जांच करने का विवेक देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) यद्यपि नियम नियमित जांच किए बिना मामूली दंड लगाने पर विचार करते हैं, जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जांच आवश्यक नहीं है, जांच न करने का ऐसा निर्णय केवल वैध कारणों से हो सकता है, जो लिखित रूप में दर्ज किए गए है। जहां मामूली दंड प्रस्तावित है, वहां नियमित जांच से छूट उन मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण के लिए, (क) अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले जहां अनुपस्थिति स्वीकार की जाती है, लेकिन अनुपस्थिति के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है; (ख) आधिकारिक वरिष्ठों के वैध आदेशों का गैर–अनुपालन या उल्लंघन जहां ऐसा उल्लंघन स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि यह जानबूझकर उल्लंघन नहीं है; (ग) जहां आरोप की प्रकृति इतनी सरल है कि इसे निर्विवाद या स्वीकार किए गए दस्तावेजों से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है; या (घ) जहां नियमित जांच करना व्यावहारिक नहीं है।

(v) किन्तु, जहां प्रस्तावित दंड को लघु दंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वहां भी यदि दंड में वेतन वृद्धि रोकना सम्मिलित है, जिससे पेंशन की राशि (या कर्मचारी को देय भविष्य निधि में विशेष अंशदान) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना है, या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकना है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए नियमित जांच करना आवश्यक है।

(vi) एफसीआई में निर्णय से पहले की स्थिति:जहां आरोप तथ्यात्मक हैं और कर्मचारी द्वारा आरोपों से इनकार किया जाता है या जब कर्मचारी जांच के लिए या मामले को सामने रखने के लिए अवसर का अनुरोध करता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी का विवेकाधिकार वस्तुतः छीन लिया जाता है और नियमित जांच करना अनिवार्य हो जाता है।एफसीआई में निर्णय के बाद की स्थिति:-- जहां नियम अनुशासनात्मक प्राधिकारी को या तो संक्षिप्त जांच या नियमित जांच करने का विवेकाधिकार देते हैं, वहां यह कहना संभव नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को केवल नियमित जांच का निर्देश देना चाहिए, जब कोई कर्मचारी आरोप से इनकार करता है या जांच के लिए अनुरोध करता है।ऐसे मामलों में भी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार होता है कि नियमित जांच की जानी चाहिए या नहीं।यदि वह नियमित जांच न करने का निर्णय लेता है और मामले का संक्षिप्त निर्णय लेता है, तो कर्मचारी हमेशा लगाए गए छोटे दंड को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि नियमित जांच न करने का निर्णय एक मनमाना निर्णय था। ऐसी स्थिति में, न्यायालय या न्यायाधिकरण न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह जांच करेगा कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी का जांच न करने का निर्णय मनमाना था। यदि न्यायालय/न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करते है कि निर्णय मनमाना था, तो जांच न करने का ऐसा निर्णय और परिणामस्वरूप दंड लगाया जाना रद्द कर दिया जाएगा। यदि न्यायालय/न्यायाधिकरण यह मानता है कि निर्णय मनमाना नहीं था, तो छोटे दंड का लगाया जाना वैध रहेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भारद्वाज और एफसीआई में लिए गए निर्णयों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ना भी संभव है, यदि भारद्वाज को किसी विशिष्ट नियम के संदर्भ के बिना एक सामान्य सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाए, कि यदि आरोप तथ्यात्मक है और कर्मचारी द्वारा आरोप से इनकार किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए एक नियमित जांच करना आवश्यक है, यहां तक कि एक मामूली जुर्माना लगाने के लिए भी। दूसरी ओर, एफसीआई में लिया गया निर्णय कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास नियमित जांच से छूट देने का विवेकाधिकार है, भले ही आरोप तथ्यात्मक हो और कर्मचारी आरोप से इनकार करता हो, ऐसे विवेकाधिकार को निहित करने वाले नियम के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में है।

17.उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, केवल आदेश अनुलग्नक पी-1 दिनांक 11-9-2015 के आधार पर, पेट्रोल पंप की राशि की कमी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था और राशि के समायोजन के लिए निर्देशित किया गया था और इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक आर-2 दिनांक 27-10-2015 द्वारा आरोपों का खंडन करते हुए सहमति प्रस्तुत की गई थी।पत्र अनुलग्नक पी-1 को सीसीए नियमों की धारा 16(ए) के प्रावधान के अनुसार कदाचार के आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव के रूप में नहीं समझा जा सकता है और केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरोप के खंडन के रूप में उक्त सहमति (अनुलग्नक आर-2) के प्रकाश में, प्रतिवादी क्रमांक 3/पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा दिनांक 16-11-2015 को आरोपित आदेश अनुलग्नक

आर–2 पारित किया गया है, जिसमें उसे 80,49, 387.34/– रुपए के गबन का दोषी माना गया है और याचिकाकर्ता के वेतन से प्रति माह 10,000/– रुपए की कटौती करके इसे समायोजित करने का निर्देश दिया गया है, जो कि लाल औधराज सिंह लाल रामप्रताप सिंह (सुप्रा) और सी.पी. के मामले में माननीय एमपी उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांत के विपरीत है। सिंह के मामले (सुप्रा) में, कारण बताओ नोटिस/समायोजन नोटिस अनुलग्नक पी–1 दिनांक 11–9–2015 के रूप में अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं होगा और यह कदाचार या दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बराबर भी नहीं होगा, जिस पर सीसीए नियमों के नियम 16(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उक्त नियमों के नियम 16(1)(ए) का पूर्ण गैर–अनुपालन है, क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई राय दर्ज नहीं की गई है कि, क्यों, जांच आवश्यक नहीं है, याचिकाकर्ता द्वारा खंड (ए) के तहत प्रस्तुत दिनांक 27–10–2015 (अनुलग्नक आर–2) की कथित सहमति और खंड (बी) के तहत आयोजित जांच के रिकॉर्ड, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए।यद्यपि वर्तमान मामले में, प्रारंभिक जांच की गई थी तथा 2018 (अनुलग्नक आर–4) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परंतु उस जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उक्त राशि के गबन के आरोप से इनकार किया है।इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आरोपित वसूली आदेश (अनुलग्नक पी–2) दिनांक 16–11–2015 पारित किया गया है, जो कि सीसीए नियमों के नियम 16(1) में निहित प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश अनुलग्नक पी–1 दिनांक 11–9–2015 तथा आदेश अनुलग्नक पी–2 दिनांक 16–11–2025 को निरस्त किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.जहां तक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति देय राशि अर्थात ग्रेच्युटी आदि रोके जाने का संबंध है, यह कानून की स्थापित पूर्वधारणा है कि कर्मचारी द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। देवकीनंदन प्रसाद बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य [1971) 2 एससीसी 330] ने विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए पैरा 33 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:–

"33. उपरोक्त निर्णयों पर समुचित ध्यान देते हुए, हमारा मत है कि पेंशन प्राप्त करने का याचिकाकर्ता का अधिकार अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत संपत्ति है तथा केवल कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है।इसी प्रकार, उक्त दावा अनुच्छेद 19(1)(एफ) के अंतर्गत भी संपत्ति है तथा यह अनुच्छेद 19 के उप–अनुच्छेद (5) द्वारा सुरक्षित नहीं है।इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि 12 जून, 1968 का आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) तथा 31(1) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, तथा इस प्रकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका पोषणीय है।हो सकता है कि पेंशन अधिनियम (1871 का अधिनियम 23) के अंतर्गत कोई रोक हो। इसमें उल्लिखित विषयों से संबंधित किसी भी वाद पर विचार करने वाले सिविल न्यायालय के विरुद्ध।यह राज्य को जारी किए जाने वाले परमादेश रिट के रास्ते में नहीं आता है, ताकि वह कानून के अनुसार पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर सके। "

19. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बनर्जी [(2006) 7 एस.सी.सी. 651] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 के द्वारा 20–6–1979 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(□) और अनुच्छेद 31(1) को निरस्त करने के बाद भी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह अभी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए में दिए गए संवैधानिक अधिकार के रूप में है। पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में माना गया

20.. पेंशन रोकने के लिए, सी.जी. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे आगे 'नियम, 1976' कहा

जाएगा) का नियम 9 लागू है। नियम 9(4) में निम्न बातें कही गई हैं:–

"9. पेंशन रोकने या वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार : ––––––––––

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या जहां उप–नियम (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही जारी है, नियम 64 में दिए गए अनुसार अनंतिम पेंशन और मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान स्वीकृत किया जाएगा:[परन्तु जहां विभागीय कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत कर दी गई है, वहां राज्यपाल लिखित आदेश द्वारा ऐसी विभागीय कार्यवाही शुरू होने की तारीख से स्वीकृत पेंशन का पचास प्रतिशत रोक सकेगा, परंतु कि ऐसी रोक के बाद देय पेंशन [सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन] से कम न हो जाए: आगे यह भी परन्तु जहां विभागीय कार्यवाही 25 अक्टूबर, 1978 से पहले शुरू की गई है, वहां पहला परन्तुक इस प्रकार प्रभावी होगा मानो 'ऐसी कार्यवाही शुरू होने की तारीख से प्रभावी' शब्दों के स्थान पर 'पूर्वोक्त तारीख से तीस दिन के बाद की तारीख से प्रभावी' शब्द रख दिए गए हों: यह भी परन्तु यह कि,

– (क) यदि विभागीय कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन का पचास प्रतिशत उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाएगा;

(ख) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो इस प्रकार रोकी गई पेंशन की सम्पूर्ण राशि उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाएगी;

तथा (ग) यदि विभागीय कार्यवाही में पेंशन रोकने या वापस लेने का अंतिम आदेश पारित किया जाता है या कोई वसूली का आदेश दिया जाता है, तो वह आदेश विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा और रोकी गई पेंशन की राशि को नियम 43 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अंतिम आदेश के अनुसार समायोजित किया जाएगा।"

21. जहां तक ग्रेच्युटी का संबंध है, **नियम 1976 के नियम 64 में** निम्नानुसार प्रावधान है:–––––––

"64. जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो, वहां अनंतिम पेंशन–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) (a) तथा (b) XXX

(ग) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही समाप्त होने तथा उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक शासकीय सेवक को कोई उपदान देय नहीं होगा। परंतु कि जहां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही उक्त नियम के नियम 10 के खण्ड (i), (ii) एवं (iv) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए संस्थित की गई हो, वहां शासकीय सेवक को नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य उपदानों के 90% की सीमा तक अनंतिम उपदान का भुगतान भी प्राधिकृत किया जाएगा। (2) XXX XXX "।

22. निस्संदेह, वर्तमान मामले में, **जैसा कि ऊपर देखा गया है,** याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 29–2–2024 को न तो कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और न ही कोई न्यायिक कार्यवाही (आपराधिक मामला) शुरू की गई थी या लंबित थी, इसलिए, याचिकाकर्ता की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय और नियम, 1976 के नियम 9 और नियम 64 के तहत वैध नहीं पाया जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसे देय पूर्ण पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार है। मामले के उस दृष्टिकोण से, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की छुट्टी नकदीकरण, जीपीएफ, जीआईएस आदि की राशि को रोकना भी अनुचित है, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में **दोनों याचिकाएं** स्वीकार की जाती हैं। उत्तरवादी क्रमांक 3/पुलिस अधीक्षक, रायपुर, जिला रायपुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस/समायोजन नोटिस दिनांक 11–9–2015 (डब्ल्यूपीएस क्रमांक 8586/2019 में अनुलग्नक पी–1) तथा वसूली आदेश दिनांक 16–11–2015 (डब्ल्यूपीएस क्रमांक 8586/2019 में अनुलग्नक पी–2) निरस्त किए जाते हैं। उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को पूर्ण पेंशन की राशि तथा सभी सेवानिवृत्ति देय राशि अर्थात ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, जीपीएफ तथा जीआईएस आदि का भुगतान आज से 45 दिनों के भीतर विधि अनुसार करें। याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का भी हकदार है। उत्तरवादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उक्त कारण बताओ नोटिस/समायोजन नोटिस अनुलग्नक पी–1 और वसूली आदेश अनुलग्नक पी–2 के तहत उससे वसूली गई राशि, अंतिम भुगतान तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करें।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि **यह आदेश उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के** विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा।

25. तदनुसार, दोनों याचिकाओं **को उपरोक्त** विस्तार तक स्वीकृति दी जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नही किया जाता है.

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur